रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266405
CG-DL-E-25092025-266405

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947
No. 622]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2025

सा.का.नि. 706(अ).—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यष्टियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए बाहुल्य दस्तावेजों की आवश्यकता को दूर करता है, प्रक्रियाओं को सरल करता है और पारदर्शिता तथा दक्षता का संवर्धन करता है;

और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात्, अपने पत्र संख्या ईएफ सं.13(2)./2020-ईजी-II (जिल्द-III), तारीख 29 जुलाई, 2025 द्वारा, नियमों के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii), (जिसे इसमें इसके पशचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, रेल मंत्रालय को यह अनुज्ञात किया था कि रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड को अधिप्रमाणन निष्पादित करने की अनुज्ञा दी जाए और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जाए;

और अंतिम रूप से पदग्रहण करने तक भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों और परीक्षा कार्मिकों जिसके अंतर्गत निरीक्षक, लिपिकार और सहायक कर्मी भी हैं, के सत्यापन के लिए आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर किया

जाएगा और यह कि रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड केवल हां/नहीं या/और इलेक्ट्रॉनिक-अपने ग्राहक को जाने (ई-केवाईसी) अधिप्रमाणन सुविधाओं का उपयोग करके रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित पारदर्शी भर्ती प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन करेगा;

इसलिए, सुशासन (सामाजिक, कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुसरण में अब रेल मंत्रालय (रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड) निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्: -

1. (1) रेल मंत्रालय, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसमें अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति अभिप्राप्त करेगा।

(2) आधार अधिप्रमाणन, उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर है, रेल मंत्रालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार अधिप्रमाणन करवाने से इनकार करने या ऐसा करने में असमर्थ होने पर आधार संख्या धारक को किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात्:-

(क) स्थायी खाता संख्या (पैन)कार्ड।

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगी।

[फा.सं. 2020/ई(आरआरबी)/25/39]

राजीव गाँधी, कार्यपालक निदेशक, स्था. (आरआरबी)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

G.S.R. 706(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India, had allowed *vide* its letter no. eF.No.13(2)/2020-EG-II (Vol-III), dated the 29th July, 2025 to the Ministry of Railways, Government of India, for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for the Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules 2020, herein after referred to as the said rules as per the provisions of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, herein after referred to as the said act, read with Rules, that the Railway Recruitment Control Board may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder;

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed on a voluntary basis for verification of candidates and examination personnel including invigilators, scribes, and supporting staff at various stages of the recruitment process until final joining, and that Railway Recruitment Control Board shall perform the Aadhaar authentication only for transparent recruitment purpose conducted by the Railway Recruitment Control Board using Yes/ No or/and Electronic- Know Your Customer (eKYC) authentication facilities;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act read with rule 5 of the Good Governance (Social, Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Railways (Railway Recruitment Control Board) hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The Ministry of Railways shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein as per the provisions of the Act.

(2) Aadhaar authentication is on voluntary basis as accordance with sub-rule (2) of rule 3 of said rules, the Ministry of Railways shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-

(a) Permanent Account Number (PAN) Card.

(b) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988.

2. This notification shall come into on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2020/E(RRB)/25/39]

RAJIV GANDHI, Executive Director, Estt. (RRB)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.25 21:56:55 +05'30'